



2026:AHC:65727

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 4018 of 2026

Akhilesh Kumar

.....Petitioner(s)

Versus

Harish Chand Memotial Junior High School

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Alok Kumar
Counsel for Respondent(s)	:	

Court No. - 5

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Alok Kumar, learned counsel for the plaintiff-petitioner.
2. The case of the plaintiff-petitioner is that against the order dated 14.11.2014 passed in Case No.136 of 2005, Harish Chandra Memorial Junior High School vs. Pramila Rao and others, an appeal came to be preferred by the petitioner herein before the Court of District Judge, Bijnor in Appeal No.82 of 2024. An application under Order 41 Rule 27 read with Section 151 CPC came to be preferred, with on 22.03.2024 being Application No.Ga-255. Objection was raised that the said application was not maintainable while filing written objection. The said application came to be allowed on 19.09.2024 by the Court of Addl. District Judge, Court No.3, Bijnor in Civil Appeal no. 82 of 2015, Akhilesh Chandra vs. Harish Chandra. As per the writ petitioner, one Krishna Pratap Singh also instituted a Civil Suit against a gift deed dated 06.10.1960 being O.S.1130 of 2024, Krishna Pratap Singh vs. Harish Chandra Smarak Inter College. A transfer application also came to be preferred under Section 24 of CPC on 03.12.2025 against which an objection was also preferred, however, on 31.01.2024, an order came to be passed by the Court of Addl. District Judge, Bijnor on Civil Appeal no. 82 of 2024 striking of the defence and the right to cross-examine with relation to the adducing of evidence with respect to the will deed dated 30.11.2024. A recall application was preferred in the month of February 2025, which came to be rejected on 25.02.2026 in the proceedings in Civil Appeal No. 82 of 2014 Akhilesh Kumar and others vs. Harish Chandra Memorial and others by the Court of Addl. District Judge, Court No.3, Bijnor.

3. Questioning the said order, the present petition has been preferred.
4. Learned counsel for the petitioner has sought to argue that the order impugned cannot be sustained for the simple reason that there were justifiable grounds seeking recall of the order as on account of the death of one of the relatives the evidences could not be adduced, however, there were valid reasons in the application, thus the order dated 31.01.2024 ought to have been recalled.
5. I have heard the submissions so made across the Bar and perused the records carefully.
6. Apparently, in Civil Appeal no. 82 of 2014, an order closing the evidence came to be passed on 31.01.2024. Recall application came to be preferred, which has been rejected. The considerations, which weighed with the lower appellate court while rejecting the said application is that on 18.07.2018, opportunity was accorded to adduce evidence. As a matter of fact, various dates were fixed and several opportunities were accorded and on 02.08.2023, the opportunity to adduce evidence stood closed and on 29.06.2023, in the interest of the litigants on deposit of the cost of Rs.1000/- another opportunity was accorded. Thereafter on 09.10.2023, adjournment was accorded on payment of Rs.500/- and again on 25.10.2023, adjournment was accorded on deposit of Rs.700/- and on 10.11.2003, opportunity was accorded on the deposit of Rs.1000/- on 30.11.2023, and last opportunity was accorded on 15.12.2023 and then on 03.01.2024, on deposit of Rs.500/- again on 12.01.2024 on deposit of Rs.500/-, on 19.01.2024 again opportunity was accorded followed on 23.01.2024 and 31.01.2024.
7. Interestingly, in the entire petition, there is no recital that the date so mentioned in the order impugned and the opportunity so accorded is incorrect. The order impugned reads as under:-

"25-02-2026

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र ग-311 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया

गया है कि उक्त अपील में अपीलार्थीगण द्वारा चन्द्रपाल सिंह की वसीयत दिनांक 30.11.2000 को साबित कराने हेतु लिस्ट गवाहान में सिवेन्द्र प्रताप सिंह का साक्ष्य शपथपत्र उक्त वसीयत को साबित करने हेतु दाखिल किया था परन्तु गवाह के निकट संबंधी की मृत्यु होने के कारण गवाह को प्रतिपरीक्षा में प्रस्तुत किए जाने हेतु समय चाहा गया, परन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2024 को उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त करते हुए प्रतिपरीक्षा व अपीलार्थीगण की साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। अतः आदेश दिनांक 31-01-2024 को रिकाल

कर अपीलार्थीगण को साक्षी सिवेन्द्र प्रताप सिंह को प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर उतरदाता सं० 1 ता 3 की ओर से आपत्ति ग-314/1 ता 3 इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र मात्र उक्त अपील की सुनवाई को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस आदेश को अपास्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है वह आदेश लगभग 02 वर्ष पुराना है परन्तु 02 वर्षों से अपीलार्थीगण ने उक्त आदेश को रिकाल कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। पूर्व में अपीलार्थीगण को प्रतिपरीक्षा हेतु अनेक अवसर प्रदान किए गए तथा कई बार हर्जा अधिरोपित होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी व ना ही उत्तरदातागण को हर्जा अदा किया गया तथा दिनांक 02.08.2023 को अपीलार्थीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। न्यायहित में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26-09-2023 से एक हजार रुपये हर्जे पर उपरोक्त आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया परन्तु उसके बावजूद भी कई तिथियाँ नियत हुई व प्रत्येक तिथि को हर्जा अधिरोपित होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा जिरह नहीं की गयी जिस कारणवश न्यायालय द्वारा दिनांक 31-01-2024 को साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त अपील को आदेश दिनांक 08.09.2025 से 6 माह में निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा बहस के स्तर पर जबकि बहस हेतु भी कई तिथियों निकल चुकी है। यह प्रार्थनापत्र मात्र अपील की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा इस अपील को किसी न किसी माध्यम से विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत अपीलार्थीगण द्वारा स्थानांतरण प्रार्थनापत्र योजित किया गया जो कि अपीलार्थीगण के उपस्थित न होने के कारण निरस्त किया जा चुका है। अपीलार्थीगण की मंशा मात्र उक्त अपील को विलम्बित करने की है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

अपीलार्थीगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की निम्न विधि व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गयी है।

मैसर्स एपसिलन पब्लिसिंग हाउस प्राईवेट लि० बनाम प्रदीप कुमार जैन 2017 (122) ए०एल०आर० 722 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गीता पाण्डेय बनाम राघवेन्द्र दत्त राम पाण्डेय आदि 2023 (41) एल०सी०डी० 2000 इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) व मौ० सैफ अली आदि बनाम एडिशनल कमिशनर (ज्यूडिशियल) अयोध्या डिवीजन आदि 2022 (40) एल०सी०डी० 442 इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) प्रस्तुत की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अपीलार्थीगण को न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18-07-2018 से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था तथा उसके बाद कई अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद व हर्जा अधिरोपित किए जाने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत ना करने के कारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02-08-2023 से अपीलार्थीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया जिसे आदेश दिनांक 26-09-2023 से न्यायहित में 1,000/- रुपये हर्जे पर अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया परन्तु उसके बाद दिनांक 09-10-2023 को स्थगन 500/- रुपये हर्जे पर व अंतिम अवसर का आदेश होने, दिनांक 25-10-2023 को स्थगन 700/- रुपये हर्जे पर व अंतिम अवसर दिए जाने, दिनांक 10-11-2023 को स्थगन 1,000/- रुपये हर्जे पर व अंतिम अवसर दिए जाने, दिनांक 30-11-2023 को पुनः अंतिम अवसर दिए जाने, दिनांक 15-12-2023 को अवसर दिए जाने, दिनांक 03-01-2024 को स्थगन 500/- रुपये हर्ज व अंतिम अवसर दिए जाने, दिनांक 12-01-2024 को पुनः अवसर दिए जाने, दिनांक 19-01-2024 को अवसर दिए जाने, दिनांक 23-01-2024 को अंतिम अवसर दिए जाने तथा दिनांक 31-01-2024 को पुनः

अपीलार्थीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत ना करने व पूर्व में स्थगन प्रार्थनापत्रो पर अधिरोपित हर्जा अदा न किए जाने के कारण अपीलार्थीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है। न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर व अनेक बार अंतिम अवसर प्रदान किए गए परन्तु उसके बावजूद अपीलार्थीगण द्वारा न तो अधिरोपित हर्जा उत्तरदातागण को दिया गया व ना ही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिस कारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवसर प्रश्नगत आदेश दिनांक 31-01-2024 से समाप्त किया गया है जो कि सही है। उपरोक्त परिस्थितियों में आदेश दिनांक 31-01-2024 को रिकाल किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण का प्रार्थनापत्र ग-311 निरस्त किया जाता है। पुत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27-02-2026 को पेश हो"

8. Since dilatory tactics have been adopted at all levels and there is no dispute to the number of opportunities accorded to the petitioner, thus in the fitness of the matter, bearing in mind that it is not apparent that there has been miscarriage of justice, this Court does not find it appropriate to interfere at this stage.

9. Accordingly, the writ petition is **dismissed**.

March 30, 2026

N.S.Rathour

(Vikas Budhwar,J.)